वित्त निर्देश 37/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.984/152/2024/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.12.2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः—स्थाई यात्रा भत्ता दरों का पुनरीक्षण ।

संदर्भः—वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 57/1220/वित्त/नियम/चार/2003, दिनांक 07.03.2008.

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम—8 के अनुसार शासकीय सेवकों के कतिपय प्रवर्गों के लिए स्थाई यात्रा भत्ता की पात्रता एवं दरें निर्धारित की गई हैं । राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थाई यात्रा की दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :—

क.	शासकीय सेवक का प्रवर्ग	वर्तमान मासिक दर (रूपये में)	पुनरीक्षित मासिक दर (रूपये में)
1.	राजस्व निरीक्षक, विकय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक)/सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक (ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ होने से जहां गहन यात्रा करना आवश्यक है), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेंड पंप तकनीशियन ।	350/—	1200/—
2.	जिला एवं तहसीलों में पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग/राजस्व विभाग के चेन मेन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी ।	300/—	1000/—

2/ ये दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी तथा स्थाई यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

26/12/2024
(डॉ. ए.के. सिंह)
अपर सचिव

पृ.क्रमांक 985/152/2024/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.12.2024

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

अवर सचिव 26/12/24
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग